आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की घारा 46(1)a के तहत आर०एम० वाद सं०-27 / 2010-11

				2010	
कन्द्र प	ातर मुण्डा	 		 	 विक्रेता
			बनाम		
सुनीता व	लकड़ा	 •••••		 	 क्रेता

25.07.22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमित वाद में किसी भी तरह का कोई अभिरूची नहीं दिखाई जा रही है यानि आवेदक को जमीन बिक्री करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुमति वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं।

भूमि का विवरण

	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
स०		सं०	
तमाड़	150	563	0.14 ए०

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।